# न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू.अभिलेख अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 441/2018

| –:: प्रार्थी ::– | बनाम | –:: अप्रार्थीगण ::– |
|---|---|---|
| 1. रघुवीरसिंह पुत्र शैतानसिंह जाति– राजपूत, निवासी–पालियावास, तहसील–जैतारण जिला–पाली राज.। | | 1. राजस्थान सरकार बजरिये तहसीलदार महोदय, जैतारण जिला–पाली राज.। |

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम**

तारीख रजू:.24/09/2018

उपस्थितः–

1. श्री भाकरसिंह भाटी, अधिवक्ता, प्रार्थी।

–:: निर्णय ::– दिनॉकः– 26/12/2019

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम का पेश किया कि ग्राम– पालियावास, पटवार हल्का रास–2 भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रास, तहसील–जैतारण जिला–पाली में खसरा नंबर 109 रकबा 00–01 बीघा किस्म–गै.मु. बेरा एवं खसरा नंबर 110 रकबा 03–12 बीघा चाही दोयम, खसरा नंबर 111 रकबा 04–19 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नंबर 112 रकबा 06–18 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नंबर 113 रकबा 06–04 बीघा किस्म बारानी अव्वल की कृषि भूमि आई हुई है। उक्त वर्णित भूमि वादी की कब्जे काश्त की पुश्तैनी खातेदारी कृषि भूमि है जिसे वादग्रस्त आराजी से सम्बोधित किया गया है। वादपत्र के पद संख्या 01 में वर्णित कृषि भूमि में वादी सह खातेदार के रूप में बतौर काबिज खातेदार काश्तकार के अपने हक हिस्से को निर्विवाद एवं बरोकटोक शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग एवं मुतालिक तमाम काश्त कार्य करता चला आ रहा है। वादपत्र के पद संख्या 01 में वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड की जमाबंदी संवत 2054 से 2057 की जमाबंदी खतौनी जो हस्तलिखित है वो सही है तथा उसमें वादी का नाम रघुवीरसिंह पुत्र शैतानसिंह दर्ज है जो सही है तथा जमाबन्दी संवत 2058 से 2061 की खतौनी एवं ऑनलाईन कम्प्यूट्रीकृत करते समय लिपिकीय त्रुटि व गलती से वादी का नाम रघुवीरसिंह पुत्र श्री शैतानसिंह के स्थान पर रघुनाथसिंह पुत्र शैतानसिंह दर्ज कर दियां, जो गलत है। उक्त गलत प्रविष्टि का अंकन जमाबंदी संवत 2058 से 2061 की जमाबंदी से दर्ज होकर लगातार चलता आ रहा है। वाद कारण दिनांक 20.06.2018 को उत्पन्न हुआ जब वादी अपनी उक्त खातेदारी भूमि पर ऋण लेने हेतु बैंक में उपस्थित हुआ, तब संबंधित बैंक अधिकारी ने वादी को बताया कि आपके उक्त राजस्व रेकर्ड में आपका नाम रघुनाथसिंह पुत्र श्री शैतानसिंह दर्ज है जबकि आपके अन्य

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

दस्तावेज में आपका नाम रघुवीरसिंह पुत्र शैतानसिंह दर्ज है। इस कारण आपको उक्त भूमि पर ऋण दिया जा सकेगा। वादी को अपने राजस्व रेकर्ड में अपने नाम की गलत प्रविष्टि की जानकारी भी उसी दिन हुई और वादी ने उसी रोज राजस्व रेकर्ड की पुरानी नकले प्राप्त कर राजस्व रेकर्ड में अपने नाम को दुरूस्त करवाने हेतु एक प्रार्थना पत्र दिनांक 24.08.2018 को श्रीमान तहसीलदार महोदय, जैतारण के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसे तहसीलदार महोदय ने यह कहते हुए लौटा दिया कि यह कोर्ट का मामला है आप कोर्ट से करवाओं, इस प्रकार वादकारण दिनांक 20.06.2018 व 24.08.2018 को उत्पन्न होकर दिन बदिन उत्पन्न हो रखा है तब वादी ने यह वाद पत्र श्रीमान के न्यायालय में प्रस्तुत किया है। जो श्रीमान के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है जो अन्दर म्याद पेश है।

प्रार्थी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन वास्ते जवाबदावा तलब किये गये। प्रतिवादी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश हुआ, सा. मि. है।

तहसीलदार जैतारण ने जवाब प्रार्थना पत्र में व्यक्त किया कि राजस्व रेकर्ड में दर्ज इन्द्राज तथ्य स्वीकार है राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज प्रार्थी की भूमि पर वादी का ही कब्जा काश्त है। ग्राम पालियावास की जमाबन्दी सम्वत 2054-2057 के अनुसार खसरा नंबर 109, 110, 111, 112, 113 में वादी का नाम रघुवीरसिंह पुत्र शैतानसिंह दर्ज था। परन्तु सम्वत 2058-2061 की नई जमाबन्दी तैयार करते समय सहवन से वादी का नाम रघुनाथसिंह पुत्र शैतानसिंह दर्ज हो गया, जो कि लिपिकीय त्रुटि के कारण हुआ है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, प्रार्थना पत्र प्रार्थी एवं जवाब प्रार्थना पत्र तहसीलदार, जैतारण का अध्ययन किया, विद्वान वकुलाय उभयपक्ष की बहस को ध्यानपूर्वक सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि ग्राम-पालियावास, तहसील-जैतारण की जमाबंदी संवत 2054-2057 के खसरा संख्या 109 से 113 के सहखातेदार के तौर पर रघुवीरसिंह पि. शैतानसिंह दर्ज है। आगामी जमाबंदी संवत 2058-2061 में रघुवीरसिंह के स्थान पर रघुनाथ सिंह दर्ज है जो कि वर्तमान जमाबंदी में भी बदस्तूर दर्ज है। तहसीलदार, जैतारण ने उक्त त्रुटि को लिपिकीय भूल से दर्ज हो जाना अंकित किया है जिसे शुद्ध करने के लिए अभिशंषा की है। राजस्व रिकॉर्ड के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि उक्त गलत इन्द्राज बिना किसी सक्षम स्वीकृति के किया गया है जो कि लिपिकीय त्रुटि की श्रेणी में आता है अतः हम प्रार्थना-पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना विधिसंगत समझते हैं।

## -:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना-पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा-136, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 बखूबी साबित होनें से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार, जैतारण को निर्देश दिए जाते हैं कि वह

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

ग्राम–पालियावास, पटवार हल्का–रास–02, तहसील–जैतारण, जिला–पाली की जमाबंदी के खसरा संख्या 109 रकबा 00–01 बीघा गै.मु. बेरा, खसरा संख्या 110 रकबा 03–12 बीघा चाही दोयम, खसरा संख्या 111 रकबा 04–19 बीघा चाही दोयम, खसरा संख्या 112 रकबा 06–18 बीघा चाही दोयम, खसरा नंबर 113 रकबा 06–04 बीघा बारानी अव्वल में बतौर सहखातेदार दर्ज त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि ''रघुनाथसिंह पि. शैतानसिंह'' के स्थान पर सही प्रविष्टि ''रघुवीरसिंह पि. शैतानसिंह'' दर्ज करें। तहसीलदार, जैतारण को पालनार्थ तहरीर जारी कर निर्णय की प्रति प्रेषित कर 10 दिवस में निर्णय की पालना मंगवाई जाए। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होते हुए दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
भू.अभिलेख अधिकारी, जैतारण
(जिला–पाली)

निर्णय आज दिनॉक 26/12/2019 को सरे इजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
भू.अभिलेख अधिकारी, जैतारण
(जिला–पाली)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2019.12.31 17:33:59 IST
Reason: SelfAttested
Location: